संख्याः 49/2026/313पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/32/2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ; दिनांकः 30 मार्च, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) निधि (राज्यांश) योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज के पत्र संख्या–1646/पू0वि0नि0(राज्यांश)-आगणन/2025-26 दिनांक 19.12.2025, 1916/पू0वि0नि0(राज्यांश)-आगणन/2025-26 दिनांक 29.01.2026, 1817/पू0वि0नि0(राज्यांश)-आगणन/2025-26 दिनांक 12.01.2026 एवं 2261/पू0वि0नि0 (राज्यांश)-आगणन/2025-26 दिनांक 13.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत जनपद-प्रयागराज में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की **रू. 2102.33 लाख** (रूपये इक्कीस करोड दो लाख तैंतीस हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **840.00** लाख (रूपये आठ करोड़ चालीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	ग्राम मवैया में काली सड़क से निवैया सड़क संपर्क मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य। (वि0ख0-उरूवां)	2250	96.11	38.00
2	ग्राम सरायजोधराय में विनोद के मकान से पंचम लाल सरोज के मकान तक सड़क निर्माण कार्य। (वि0ख0-बहरिया)	500	32.25	13.00
3	ग्राम असरवई में काली सड़क से शैलेन्द्र के मकान तक सड़क निर्माण कार्य।(वि0ख0-जसरा)	300	22.69	9.00
4	ग्राम सरांय अर्जुन उर्फ हरमदिला प्राथमिक विद्यालय से बंधवा तालाब तक सड़क निर्माण कार्य।(वि0ख0-सोरांव)	250	18.48	7.00
5	ग्राम परानीपुर मुख्य मार्ग हरिजन बस्ती से रमेश पटेल के घर तक सड़क निर्माण का कार्य। (वि0ख0-उरूवां)	400	32.79	13.00
6	ग्राम बजटी पक्की सड़क प्रा0 विद्यालय से स्व0 रमाकान्त यादव के घर तक	800	54.40	22.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	सड़क निर्माण का कार्य।			
7	वि0ख0 सोरांव ग्राम पंचायत जल्लूपुर के मजरा वजीराबाद में श्री रमा पति पटेल के घर के पास इण्टरलाकिंग से शिव मंदिर के पास बनी इण्टरलाकिंग तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	165	14.84	6.00
8	वि0ख0 सहसों ग्राम पंचायत बजाही बनवारी का पूरा में श्री राजेन्द्र प्रसाद के खेत से श्री फूल चन्द्र कबीला के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	200	15.74	6.00
9	वि0ख0 सोरांव ग्राम पंचायत शेखपुर सठवा में पक्की सडक विगहीया सम्पर्क मार्ग से श्री महेन्द्र यादव के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	170	13.11	5.00
10	वि0ख0 मऊआइमा ग्राम पंचायत मदारी में फकिरान बस्ती में श्री जन्नू फकीर के घर से श्री त्रिलोकी बाबा के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	180	11.95	5.00
11	वि0ख0 बहरिया ग्राम मंसूरपुर के मौजा सराय सुल्तान में प्राथमिक विद्यालय से श्री रमजान अली के घर की ओर इण्टरलाकिंग का कार्य।	200	12.80	5.00
12	वि0ख0 बहरिया के ग्राम सरावदत्ते दली का पूरा में रामकृपाल मौर्या के घर से रामसजीवन के घर होते हुए बरजी घोषड़ा लिंक मार्ग तक सी०सी० निर्माण का कार्य।	500	42.63	17.00
13	वि0ख0 धनूपुर के ग्राम रामपुर सदुलहां में रामचन्द्र पाण्डेय के घर से दिवाकर प्रसाद पाण्डेय के घर तक सड़क निर्माण का कार्य।	300	14.27	6.00
14	वि0ख0 बहरिया के ग्राम सरावदत्ले दली का पूरा में बंशी लाल के मकान से विनोद कुमार पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	180	15.54	6.00
15	वि0ख0 बहरिया के ग्राम सरावदत्ते दली का पूरा में करुणा शंकर के मकान से अरूण कुमार पाण्डेय के घर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	140	11.35	5.00
16	वि0ख0 बहरिया के ग्राम बरजी में सिसई पावर हाउस के पुलिया के पास पक्की सड़क से शमशान घाट तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	230	19.65	8.00
17	वि0ख0 बहरिया के बाम बरजी में राय साहब के घर से सुरेश सिंह को घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	150	13.24	5.00
18	वि0ख0 बहरिया के ग्राम सिराई में समीर उद्दीन के घर से इकराम उददीन के चक तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	150	14.33	6.00
19	वि0ख0 कोरांव ग्राम सभा बड़ोखरा में पक्की सड़क से विन्देश्वरी प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	300	30.62	12.00
20	वि0ख0 बहरिया के ग्राम बरजी सुरेश सिंह के घर के बगल से बरजी पुरानी चकरोड से बृजराज के फर्म तक इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	150	12.13	5.00
21	प्रयागराज के झलवां पीपल गांव में पुराना कटौहला रोड़ (मजार के पास) से राहुल चौधरी के घर तक मार्ग निर्माण का कार्य।	300	32.16	13.00
22	मोहल्ला-सादियाबाद में भून्नू भगत के घर से अमरनाथ के घर होते हुए, संगम लाल के घर व जमुना प्रसाद तिवारी के घर तक रोड व नाली निर्माण कार्य एवं मिश्री लाल के घर से सम्भू नाथ के घर होते हुए अमित के घर तक रोड व नाली का कार्य एवं अरूड कुमार शर्मा के घर से नीतू चौधरी के घर से संतोष के घर तक रोड व नाली निर्माण कार्य एवं एचबी यादव के घर से रामाश्रय पाल के घर तक रोड व नाली निर्माण कार्य व धीरेन्द्र पाल के घर से बलदाउ मंदिर होते हुए शीतला माई मंदिर तक सीसी	875	69.95	28.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	रोड व इण्टरलाकिंग व नाला का निर्माण कार्य एवं उमेश भारतीय के घर से धून्नू पाल के घर होते हुए, आरपी श्रीवास्तव से मेन रोड तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।			
23	मोहल्ला-मम्फोर्डगंज मे निगम चौराहा वाली रोड से कमल पुस्तक भण्डार से कटोरी पार्क के चारो तरफ रोड पटरी व नाली का निर्माण कार्य।	795	77.14	31.00
24	मोहल्ला-छोटा बघाडा (कछार) ढरहरिया मे पूर्वांचल बुक हाउस से बृजेश सिंह सेगर के घर व राजू सिंह के घर से होते हुए, विपिन मिश्रा के घर तक सीसी / इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य एवं राहुल यादव के घर से संतोष शुक्ला के घर होते हुए, छोटे लाल यादव के घर तक इण्टरलाकिग व नाली निर्माण कार्य एवं तहसील गुप्ता जी के घर से पवन साहू वाली गली से भागीरथी चौराहा से आशुतोष शुक्ला जी के घर से होते हुए, विद्याकान्त यादव के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	800	74.2	30.00
25	ग्राम पंचायत-जफरा, विकासखण्ड-माण्डा में प्रा०वि० से मिश्री लाल सिंह के घर तक इण्टरलाकिग क निर्माण कार्य।	210	11.87	5.00
26	ग्राम पंचायत-बेदौली, विकास खण्ड-उरूवा में रवि पटेल के घर से सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	200	11.87	5.00
27	ग्राम पंचायत-सोनाई. विकास खण्ड-उरुवा में मनीष पटेल के घर से दिलीप कुमार गौतम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	210	11.87	5.00
28	राम पंचायत बंधवा, विकास खण्ड-मेजा में मक्खन लाल पटेल के घर से काली सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य।	210	11.87	5.00
29	ग्राम पंचायत-डण्डपानपुर (सिकरा) विकास खण्ड-माण्डा में श्यामधर मौर्या के घर से कृपाशंकर हरिजन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	230	11.87	5.00
30	ग्राम पंचायत लक्षन का पूरा विकास खण्ड-मेजा में हनुमान मंदिर से सेठ गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	200	10.61	4.00
32	ग्राम पं० बक्तीयारा, वि०ख० धनूपुर, प्रयागराज शारदा सहायक नहर की पुलिया सुभाष चन्द्र के मशीन के सामने से भदैली दलित बस्ती होते हुए हरिशंकर बिन्द (पूर्व प्रधान) के घर तक इण्टरलांकिग।	925	60.3	24.00
33	आनापुर मार्ग से भगवानपुर पाल बस्ती तक सड़क निर्माण का कार्य।	450	35.34	14.00
34	ग्राम पंचायत जूडापुर बौहर में झलहटिया संतोष शुक्ला के घर से दहियावा सड़क तक इण्टरलांकिग का कार्य।	400	34.95	14.00
35	अरूआंव प्रा०पा०से आगे दलित बस्ती तक सड़क निर्माण का कार्य।	350	32.71	13.00
36	बरई हरख पक्की सड़क से प्रहलादी का घर छोटका पुरवा तक इण्टरलांकिग का कार्य।	350	27.72	11.00
37	रामदासपुर वंशीलाल के घर से मदनलाल राम कैलाश के घर तक इण्टरलांकिग का कार्य।	250	26.94	11.00
38	देवापुर पटेल नगर प्रा०पा० से आगे सी०सी० मार्ग तक सड़क निर्माण का कार्य।	450	42.50	17.00
39	वि०ख० शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत कोहड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल से होते हुए कल्लू राम के घर से जे०पी० मेमोरियल पैरा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तक मार्ग के लेपन का निर्माण कार्य।	550	18.17	7.00
40	वि०ख० कौंधियारा के ग्राम पंचायत मझिगवां से गौरा को जोड़ने के लिए	989	48.02	19.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	मझिगवां से गौरा तक मार्ग के लेपन का निर्माण कार्य।			
41	वि०ख० जसरा में रीवा रोड राजमणि पटेल के घर से सिपाही लाल के घर होते हुए पंचायत भवन तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	710	40.07	16.00
42	वि०ख० जसरा के ग्राम पंचायत सुजौना में घूरपुर प्रतापपुर रोड से राजू मार्ग पटेल के गाँव की ओर मार्ग के लेपन का निर्माण कार्य।	585	19.45	8.00
43	वि०ख० जसरा के ग्राम पंचायत दौना में काली रोड से अतरैला गाँव की ओर मार्ग के लेपन का निर्माण कार्य।	850	21.1	8.00
44	वि०ख० जसरा के ग्राम पंचायत बुदावा में रीवां हाईवे से बाबूजी पटेल के घर होते हुए मुस्लिम बस्ती तक मार्ग के लेपन का निर्माण कार्य।	676	21.71	9.00
45	वि०ख० जसरा के ग्राम पंचायत चिल्ला गौहानी के मजरा बमुरी में काली रोड से बमुरी गाँव की ओर मार्ग के लेपन का निर्माण कार्य।	1200	30.96	12.00
46	उत्थान मेन रोड़ से आश्रम तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	301	25.83	10.00
47	कटहुला हरियरा में श्री राम प्रकाश पटेल के घर से बजरंग बली मंदिर ट्रांसफार्मर तक इंटरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	277	23.06	9.00
48	अहमदपुर पावन रघुवर पुरवा में मेन रोड़ से तालाब से होते हुए इंटरलाकिंग रोड़ तक इंटरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	304	24.04	10.00
49	झलवा हनुमान नगर में ट्रांसफार्मर से अजीत राय के घर तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	170	20.40	8.00
50	गंगा बिहार में ट्रांसफार्मर से दिनेश जनरल स्टोर तक इटरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	310	26.11	10.00
51	लाल बहादुर शास्त्री नगर (ग्रीन वैली) में हनुमान मंदिर से विजय सिंह के घर तक इंटरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	225	26.82	11.00
52	डुड़ी नीम (हनुमत पुरी कालोनी) से रंजना देवी के घर तक इंटरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य	500	53	21.00
53	खुल्दाबाद लकड़मण्डी में रोशन सिंह चौहान के घर से अनिल सिंह चौहान के घर से हुते हुए सन्तोष शर्मा के घर तक इंटरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	120	8.60	3.00
54	ग्राम पिपरांव में बचाई कोल के घर से राम मिलन कोल के घर तक सड़क कार्य	300	21.35	9.00
55	ग्राम ओबरी में काली सड़क से मुन्ना सिंह के घर तक इन्टरलकिंग कार्य	135	10.23	4.00
56	ग्राम - टौंगा कला में मेन सड़क से आदिवासी बस्ती होते हुए कन्हैया कोहर के घर इन्टरलाकिंग	200	11.83	5.00
57	ग्राम-कूदर के पुरा नेवारी में नहर पुलिया से आदिवासी बस्ती तक इन्टरलकिंग कार्य	670	47.45	19.00
58	ग्राम -पालपट्टी के कोटर में इन्टरलाकिंग सड़क से मुन्ना तिवारी के बस्ती तक इन्टरलाकिंग कार्य	365	25.44	10.00
59	ग्राम-धनवाल में कृष्णाकान्त के से पन्ना लाल कोल के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	100	6.09	2.00
60	ग्राम-टुड़ियार में संजय प्रसाद मिश्र के घर से राजधर मिश्र के घर तक इन्टरलकिंग कार्य	250	17.71	7.00
61	ग्राम - खूटा में महारानी चौरा से सम्पति आदिवासी के घर तक इंटरलकिंग	400	21.74	9.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य			
62	ग्राम किहुनी कला में काली सड़क से राधेश्याम मास्टर के घर तक इन्टरलकिंग कार्य	310	23.02	9.00
63	ग्राम - पूरा दत्तू में श्री मिश्रा पूर्व प्रधान के घर से कमलेश मिश्र के घर होते हुए विजय शंकर मिश्र के घर तक इन्टरलंकिंग कार्य	170	9.18	4.00
64	ग्राम कौंदी में दीपेन्द्र कुमार सिंह के घर से महिपाल सिंह के घर होते हुए राम सुमेर कोल के घर तक इन्टरलकिंग कार्य	170	10.68	4.00
65	ग्राम सभा- चकिया घरहरा- मोलनापुर से घरहरा सम्पर्क मार्ग की ओर इन्टरलकिंग निर्माण कार्य	280	19.78	8.00
66	वार्ड नं०-6 कनिहार-बधवा ताहिरपुर स्थित डॉ० विनोद पटेल के घर से उमेश पाल के घर की ओर इन्टरलकिंग निर्माण कार्य	115	14.94	6.00
67	वार्ड नं0-45- छतनाग-देवनगर झुंसी में एसएन सिंह के घर से मुकुल सिंह के घर की ओर इन्टरलकिंग निर्माण कार्य	87	10.86	4.00
68	ग्राम सभा कटियारी चकिया- राकेश सिंह के चक से सुनील कुमार व सूर्यभान के मकान होते हुए उदयभान सिंह के घर तथा राकेश सिंह के पम्पिंग सेट की ओर इन्टरलकिंग निर्माण कार्य	250	13.78	6.00
69	ग्राम सभा- धमौइया- दिग्विजय सिंह के घर से लेकर चन्द्रजीत यादव के घर की ओर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	200	19.71	8.00
70	ग्राम सभा- मलखानपुर-महरानी माई के चौरा से नागेन्द्र सिंह ठाकुर के घर की ओर इन्टरलकिंग निर्माण कार्य	280	13.11	5.00
71	ग्राम सभा - लीलापुर कला- माता प्रसाद मिश्र के घर के सामने राजेश मिश्रा के घर की ओर इन्टरलकिंग निर्माण कार्य	70	9.08	4.00
72	ग्राम सभा कनौजा कला- जगन्नाथ पटेल की मशीन से पप्पू के घर की ओर इन्टरलकिंग निर्माण कार्य	110	7.14	3.00
73	ग्राम सभा/वार्ड- तिसौरा- धोबी बस्ती जीमल धोबी के घर से शमीम धोबी के घर की ओर इन्टरलकिंग निर्माण कार्य	280	15.99	6.00
74	ग्राम सभा-अभईपुर-अभईपुर चमरे धोबी बस्ती से राम बहादुरपुर पटेल के घर की ओर इन्टरलकिंग निर्माण कार्य	190	10.61	4.00
75	वार्ड नं0-09 सोनैटी- दुर्जनपुर पासी बस्ती में अरविन्द भारतीया के घर से सुभाष टी स्टॉल की ओर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	155	11.46	5.00
76	ग्राम सभा- रामगढ़ कोठारी सुशील शुक्ला के घर के पास पानी की टैक से लेकर पूर्व प्रधान श्री कृष्ण शुक्ला के घर की ओर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	250	18.66	7.00
77	वार्ड नं0-45 छतनाग देवनगर नारायणदास का पूरा स्थित तन्वी क्लीनिक के पास कालोनी में (विष्णुकान्त मिश्रा के घर से ओम प्रकाश पाण्डेय के घर तक) इन्टरलकिंग निर्माण कार्य	130	16.79	7.00
78	वार्ड नं0-45 छतनाग नैका स्थित मायापुरी कालोनी सम्पर्क मार्ग से मनीलाल के मकान की ओर इन्टरलकिंग निर्माण कार्य	180	20.05	8.00
79	उत्तरी लोकपुर में क्षमा देवी के घर होते हुए श्याम बिहारी पाल विद्योतमा विद्या मन्दिर से दिनेश पाल, बजरंगी पाल के घर से ए०एस०एन० इण्टर कॉलेज से छेदन कबाड़ी से उमा शंकर पाल तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	1091	77.59	31.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

80	नैनी मिर्जापुर रोड मनोरमा देवी के घर से अखरती बेगम के घर तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	510	32.51	13.00
81	नैनी मिर्जापुर मुख्य मार्ग झिलमिल कॉलोनी में राहुल मेडिकल स्टोर से अनिल मिश्रा के घर होते हुए रविन्द्र त्रिपाठी के घर से संजय गुप्ता के घर से राम जानकी मन्दिर तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	800	50.52	20.00
82	नैनी जेल रोड पर सुन्दर परी बीड़ी से लेकर अकबर हुसैन के घर तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	230	15.52	6.00
83	नैनी प्रयागपुरम चकदोंदी में एच०आर०आई० से राजन शुक्ला के मकान से पवन यादव के मकान तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	200	19.93	8.00
84	मीरापुर बुद्ध नगर चमरौटी बस्ती में परमानन्द मिश्रा के घर से गौरव गोपाल मिश्रा, संजय जायसवाल, ददू कुमार, विनय कुमार से श्याम लाल पाल के घर तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	105	9.45	4.00
	योग:	**30860**	**2102.33**	**840.00**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/ स्टील/ ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक /मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।
7. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
9. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
13. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
14. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
15. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
16. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
17. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
19. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
20. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
21. कार्य स्थल पर संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
22. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
23. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
24. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
25. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
26. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

27. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
28. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
29. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
30. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
31. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या:101/2025/726पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/110/2025 दिनांक 10 जून, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में उपर्युक्त तालिका के (1) क्रमांक- 5,32,35,56,57,59,61 एवं 73 से 75 के कार्यों पर होने वाला व्यय रू. 1,00,00,000/-(रूपये एक करोड़ मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 83 के बजट लेखाशीर्षक- **4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-02-पिछडे क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियो के लिये विशेष घटक योजना-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा तथा (2) शेष कार्यों पर होने वाले** व्यय रू. 7,40,00,000/- (रूपये सात करोड़ चालीस लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-**4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24 वृहद निर्माण** कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 49/2026/313पू0वि0नि0(1)/35-1-2026/35-1099/32/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, प्रयागराज मंडल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रयागराज।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रयागराज।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।